

F.No.11011/ 105/2013-NE-III
Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi dated 9th December, 2013.

To


Shri V.K. Rajan,
Deputy Secretary (E) & CPIO,
Ad.II. Division,
Ministry of Home Affairs,
North Block,
New Delhi.

Subject:- Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under RTI Act, 2005 -reg..

Sir,

I am directed to refer to the Ad.II Division's letter No. A-42012/81/2013-Ad.II dated 03.12.2013 on the subject mentioned above and to say that in so far as NE Division, MHA is concerned, no such officer/official is working in North East Division, MHA. Therefore, the requisite information may be treated as "NIL".

Yours faithfully,



(G.Sridharan)

Deputy Secretary to the Govt. of India & CPIO
Telefax:23092144

Received
ASh
13-12-13



MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

File No.A.42012/81/2013-Ad.II
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3rd December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma
D/o Shri Ashok Kumar Sharma
R/o Rasulpur Rohta
Tehsil & District Meerut
UTTAR PRADESH

Subject:- Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 – reg.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajbal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.

3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001, (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours faithfully,

[V.K. RAJAN]

Deputy Secretary (E) & CPIO
Tel.No.2309 4376

Copy to:-

1. All CPIOs in Divisions of MHA [except Admn. Division, Dir (Pers)/DS (Pers).] – with enclosures.
2. RTI Cell – with reference to their OM cited above.

[V.K. RAJAN]

Deputy Secretary (E) & CPIO

RA
PR. Appl. about
RTI appl. (MHA)
8/12

Discussed.
Pl. for up

SD (NEW)
9/12

Sl. No. 1 (R)

आर टी आई मामला/सम

12/01/2013 Ad

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

Sl. No. 667-H
Date 11/11/2013

नई दिल्ली, दिनांक 29/10/2013

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा के दिनांक 27/9/2013 के आवेदन (दूध मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 01/10/2013 को प्राप्त) को प्रशासनिक प्रभाग को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मागी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 7/10/2013 की रसीद सं 27090 के तहत जमा कर दिया है (सलगन) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

शु. सामंत
(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- (1) निदेशक (कार्यक्रम) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (2) उपसचिव (कार्यक्रम), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (3) प्रशासनिक प्रभाग (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (4) अनुभाग-आवृत्त (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित : (5) अनुभाग-आवृत्त (प्रशासन), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्री/श्रीमती/सुश्री शुबी शर्मा, (पुत्री श्री अशोक कुमार)

ग्राम-रसूलपुर रोड, तहसील तजोली - मेरठ
मेरठ - उत्तर प्रदेश

(हाल पता- 81, जै. तुलसी बालोनी, शाली नं-2, फ्लोरिडा, मेरठ
उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

08/11/13

भोवा में ,

श्री मानू जन सूचना अधिकारी/ सचिव गृह मंत्रालय

7

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

01 OCT 2013
1689/88

केंद्र का नाम
एक संख्या
श्री. आर. नारायण/ श्री. आर. नारायण/ CR Section Block

विषय :- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

§ 18. प्रश्न :- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहटा तह0 व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व , 554ब क्या विवादित जमीन है , और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरिद्धक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्वः सुरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है । इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे ।

§ 20. यदि आपके मन्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार ,आज्ञा से , सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे । जिसके सम्बन्ध में जबाव द्वारा प्राथी को सूचित किया जावे ।

9-1-13
A-1-D
Dir (Gen)
Ds (Gen)

Rudraj Sharma

१३४ : यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के पिल्ह की जावे । की सूचना अविलिम्ब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीन को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 27-07-2013

प्रार्थीनी

Ruby Sharma

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

1- पौ० ओ० अंकन 10/-रु०

नि० ग्राम रसूलपुर रोहटा , पर० तह० व

सं० - 17 F-841722

जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे० तुल्सी

दिनांक :- 27/9/13

कालौनी, गली नं०-2, कंकरछेडा, मेरठ ।

2- सूचना जन साधारण के प्रकाशन

बोर्ड की फोटो ।

3

व्यक्ति को सुचित किया जाता है।
विवाहित है जसा कोई के विवाहाधीन है।
कोई का फौजदारी जाता कोई भी व्यक्ति
को खरीदने की चेष्टा ना करें। आज्ञा की
कारण पर व्यक्ति विशेष खुद जिम्मेदार होगा।

ज्येश्ठ चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजबल शर्मा
निरीक्षक अधिकारी, ग्रह मंत्रालय भारत सरकार